

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर सतना जिले में बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत इनटेकवेल के निर्माण हेतु 1.300 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र. जल निगम मर्यादित, सतना को उपयोग पर देने बाबत निम्न शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है:- 1. इस कार्य से वनक्षेत्र एवं वन्य प्राणियों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को दूर करने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाहियों की जाएंगी और कृत कार्यवाही से माननीय वन मंत्रीजी के कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। 2. वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए वही भूमि उपलब्ध कराई जाएगी जो वानिकी दृष्टि से उपयुक्त हो तथा साथ ही जिसके लिए ग्राम पंचायतों की निःशर्त सहमति हो। 3. अन्य सभी लागू अधिनियमों तथा नियमों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
----	---	----	--

दिनांक: 07.02.2020

स्थान: भोपाल


 (एच.एस. मोहन्ता)
 (एच.एस. मल्लिकार्जुन)
 सचिव, विभाग
 मध्य प्रदेश

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)